**संख्या-3/2018/1701/46-1-17-1000(59)/2017**

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, शामली, मेरठ, हापुड़., गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच तथा बस्ती।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषयः- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उ.प्र. के पत्र संख्या-1255/12-निर्माण:अ.ग्रा., दिनांक 17-11-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण योजना हेतु निर्धारित फंडिगं पैर्टन 80:20 के अनुसार 80 प्रतिशत राज्यांश के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित की धनराशि रू. 20,00,00,000/- (रूपये बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष जनपद सहारनपुर, शामली, मेरठ, हापुड़., गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच तथा बस्ती के कुल 49 सम्पर्क मार्गों/सड़कों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक तालिका में उनके सम्मुख कालम-8 में अंकित कुल लागत रू. 25,00,00,000.00 (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एवं तालिका के कालम-9 के अनुसार देय राज्यांश की कुल धनराशि रू. 19,99,98,400.00 (रूपये उन्नीस करोड़ निन्यानबे लाख अटठानबे हजार चार सौ मात्र) के सापेक्ष तालिका के कालम-10 के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू. 999.992 लाख (रूपये नौ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार दो सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्योंके विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक तालिका के कालम-11 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में संलग्नक तालिका के स्तम्भ-12 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(7) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2018) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-8-2017 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(11) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) कार्य की विशिष्टयॉं मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(15) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सा`पेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विविरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-14दस/18, दिनांक 15 जनवरी, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

**भवदीय,**

**नरेश बहादुर**
**विशेष सचिव।**

**संख्या-3/2018/1701(1)/46-1-17-1000(59)/2017, तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद

3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।

5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।

6- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।

7- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।

8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।

9- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

10- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।

11- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।

12- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।

13- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

14- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2,

15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,

16- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।

17- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(शिव शंकर द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## संख्या-3/2018/1701/46-1-17-1000(59)/2017, लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2018 का संलग्नक।

**जिला योजना वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में सडकों के निर्माण की प्रस्तावित जनपदवार/सडकवार कार्य योजना का विवरण**

| क्रम सं. | क्षेत्र का नाम | जनपद का नाम | परिषद का नाम | संख्या | सम्पर्क मार्ग का नाम | लम्बाई (कि0मी0) | अनुमानित लागत (लाख रू0) | शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश कर धनराशि | शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत अवमुक्त हेतु धनराशि (लाख रूपयें में) | देय राज्यांश कर धनराशि में 0.50 प्रतिशत वानिकीकरण की धनराशि (लाख रू0) | सेन्टेज की धनराशि (लाख रू0) | मार्ग के निर्माण हेतु वानिकीकरण सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रू0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | सहारनपुर | सहारनपुर | देवबन्द | 1 | देवबन्द नन्हेडा मार्ग से शमशान घाट की ओर | 0.675 | 28.220 | 22.576 | 11.288 | 0.050 | 1.237 | 10.0010 |
| | | | | **1** | **जनपद योग-** | **0.675** | **28.220** | **22.576** | **11.288** | **0.050** | **1.237** | **10.001** |
| 2 | सहारनपुर | शामली | शामली | 1 | ताना गेट से रामऔतार पुत्र श्री धारा सिंह के मकान तक | 0.400 | 27.503 | 22.002 | 11.001 | 0.049 | 1.206 | 9.7460 |
| 3 | सहारनपुर | शामली | शामली | 2 | मेरठ करनाल मार्ग नया गांव सड़क से टपराना टंकी तक | 0.465 | 20.358 | 16.286 | 8.143 | 0.035 | 0.893 | 7.215 |
| 4 | सहारनपुर | शामली | शामली | 3 | दिल्ली सहारनपुर रोड से गोमतीपुर | 1.145 | 49.082 | 39.265 | 19.633 | 0.086 | 2.152 | 17.395 |
| 5 | सहारनपुर | शामली | थाना भवन | 4 | थाना भवन ऊन मार्ग से युनुसपुर मार्ग अवशेष भाग | 0.600 | 27.476 | 21.980 | 10.990 | 0.048 | 1.205 | 9.737 |
| 6 | सहारनपुर | शामली | थाना भवन | 5 | कैल शिकारपुर रजबाहा पुल से पक्की सड़क तक | 0.550 | 46.823 | 37.458 | 18.729 | 0.082 | 2.053 | 16.594 |
| 7 | सहारनपुर | शामली | थाना भवन | 6 | मन्टी हसनपुर में गुरूवचन के मकान से अमर सिंह के खेत तक | 0.900 | 51.194 | 40.955 | 20.477 | 0.090 | 2.244 | 18.143 |
| 8 | सहारनपुर | शामली | थाना भवन | 7 | महावतपुर से दिल्ली सहारनपुर रोड की ओर नीरज की ट्यूबवेल तक | 0.445 | 19.220 | 15.376 | 7.688 | 0.033 | 0.842 | 6.813 |
| | | | | **7** | **योग जनपद-** | **4.505** | **241.656** | **193.322** | **96.661** | **0.423** | **10.595** | **85.643** |
| 9 | मेरठ | मेरठ | मवाना | 1 | दयालपुर पुल से रजवाहे की पटरी होते हुये अमर सिंह तक | 0.910 | 41.890 | 33.512 | 16.756 | 0.074 | 1.837 | 14.845 |
| 10 | मेरठ | मेरठ | मलियाना | 2 | जंगेठी लखवाया रोड से घसौली मार्ग | 0.300 | 14.170 | 11.336 | 5.668 | 0.025 | 0.621 | 5.022 |
| 11 | मेरठ | मेरठ | दौराला | 3 | सरधना जुल्हेड़ा मार्ग से मैहरमती गणेशपुर (लोकप्रिय स्कूल) मार्ग | 1.100 | 48.620 | 38.896 | 19.448 | 0.085 | 2.131 | 17.232 |
| 12 | मेरठ | मेरठ | दौराला | 4 | दौराला बफावत मार्ग से सहीपुर सेक्टर मार्ग | 1.000 | 54.690 | 43.752 | 21.876 | 0.096 | 2.398 | 19.382 |
| 13 | मेरठ | मेरठ | दौराला | 5 | दौराला शमशान घाट रोड से लल्लू की ट्यूबवेल तक मार्ग | 0.500 | 22.052 | 17.641 | 8.820 | 0.038 | 0.966 | 7.816 |
| | | | | **5** | **योग जनपद** | **3.810** | **181.422** | **145.137** | **72.568** | **0.318** | **7.953** | **64.297** |
| 14 | मेरठ | हापुड़ | घौलाना | 1 | ग्राम छपकौली जू.हाईस्कूल से कार्काडी सतावन मार्ग | 0.350 | 21.658 | 17.326 | 8.663 | 0.038 | 0.949 | 7.676 |
| 15 | मेरठ | हापुड़ | सिम्भावली | 2 | ग्राम रसूलपुर नहर के पुल से प्रा.स्कूल तक | 0.450 | 21.650 | 17.320 | 8.660 | 0.038 | 0.949 | 7.673 |
| | | | | **2** | **योग जनपद** | **0.800** | **43.308** | **34.646** | **17.323** | **0.076** | **1.898** | **15.349** |
| 16 | मेरठ | गा0बाद | मोदीनगर | 1 | तिवड़ा काली रोड से तिवड़ा बाईपास मार्ग | 0.340 | 15.220 | 12.176 | 6.088 | 0.026 | 0.667 | 5.395 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **1** | **योग जनपद** | **0.340** | **15.220** | **12.176** | **6.088** | **0.026** | **0.667** | **5.395** |
| 17 | मुरादाबाद | बिजनौर | बरकातपुर | 1 | ग्राम तिसोतरा के तालाब से होते हुए तिसोतरा हरिद्वार सम्पर्क मार्ग तक | 0.800 | 40.451 | 32.360 | 16.180 | 0.071 | 1.773 | 14.336 |
| | | | | **1** | **योग जनपद** | **0.800** | **40.451** | **32.360** | **16.180** | **0.071** | **1.773** | **14.336** |
| 18 | मुरादाबाद | अमरोहा | अमरोहा | 1 | पृथ्वीपुर बारसपुर मार्ग से अमनीपुर मार्ग | 0.850 | 48.332 | 38.665 | 19.332 | 0.085 | 2.119 | 17.128 |
| 19 | मुरादाबाद | अमरोहा | अमरोहा | 2 | अमरोहा शहदौली मार्ग से बुडेरना मार्ग | 1.100 | 64.544 | 51.635 | 25.818 | 0.113 | 2.830 | 22.875 |
| | | | | **2** | **योग जनपद** | **1.950** | **112.876** | **90.300** | **45.150** | **0.198** | **4.949** | **40.003** |
| 20 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | अगवानपुर | 1 | खानपुर मानपुर कावंड पथ से रेलवे क्रासिंग की ओर | 1.280 | 81.177 | 64.941 | 32.470 | 0.142 | 3.559 | 28.769 |
| | | | | **1** | **योग जनपद** | **1.280** | **81.177** | **64.941** | **32.470** | **0.142** | **3.559** | **28.769** |
| 21 | मुरादाबाद | सम्भल | असमौली | 1 | असमौली से खानपुर डी.सी.एम. शुगर मिल मार्ग | 1.000 | 69.613 | 55.690 | 27.845 | 0.122 | 3.052 | 24.671 |
| | | | | **1** | **योग जनपद** | **1.000** | **69.613** | **55.690** | **27.845** | **0.122** | **3.052** | **24.671** |
| 22 | मुरादाबाद | रामपुर | कमटी मिलक | 1 | ग्राम डोहरिया में अमन बाल्मिकी के घर से जिवाई कदीम मार्ग | 1.050 | 55.655 | 44.524 | 22.262 | 0.097 | 2.440 | 19.725 |
| | | | | **1** | **योग जनपद** | **1.050** | **55.655** | **44.524** | **22.262** | **0.097** | **2.440** | **19.725** |
| 23 | बरेली | पीलीभीत | पीलीभीत | 1 | सुहास से वाहनपुर गांव तक तृतीय भाग | 0.990 | 57.798 | 46.238 | 23.119 | 0.101 | 2.534 | 20.484 |
| | | | | **1** | **योग जनपद** | **0.990** | **57.798** | **46.238** | **23.119** | **0.101** | **2.534** | **20.484** |
| 24 | लखनऊ | लखीमपुर | बेलरायां | 1 | सुक्खनपुरवा मार्ग से प्रा0 वि0 घनश्यामपुरवा शेष भाग | 0.900 | 62.433 | 49.946 | 24.973 | 0.110 | 2.737 | 22.126 |
| 25 | लखनऊ | लखीमपुर | बेलरायां | 2 | त्रिकोलिया क्रयकेन्द्र से गुलरीपुरवा अवशेष भाग | 1.139 | 69.086 | 55.268 | 27.634 | 0.121 | 3.029 | 24.484 |
| 26 | लखनऊ | लखीमपुर | ऐरा | 3 | चन्दवापुर मार्ग से धुन्धा कलां सम्पर्क मार्ग | 0.330 | 28.802 | 23.041 | 11.520 | 0.050 | 1.262 | 10.208 |
| 27 | लखनऊ | लखीमपुर | सम्पूर्णानगर | 4 | भूपनगर से मिर्चिया गुरूद्वारा प्र0 | 1.000 | 61.642 | 49.313 | 24.656 | 0.108 | 2.702 | 21.846 |
| 28 | लखनऊ | लखीमपुर | गुलरिया | 5 | भीरा पलिया मार्ग से मटेहिया प्रार0 विघालय तक | 0.915 | 52.212 | 41.769 | 20.885 | 0.092 | 2.289 | 18.504 |
| 29 | लखनऊ | लखीमपुर | गोला | 6 | सिसांवा कला कौरैया मुफरत मार्ग से कोटवा मार्ग | 1.140 | 67.723 | 54.178 | 27.089 | 0.119 | 2.970 | 24.000 |
| 30 | लखनऊ | लखीमपुर | कुम्भी | 7 | मगदापुर पू0मा0 विद्यालय से भोगियापुर मढिया रोड तक । | 0.970 | 59.161 | 47.328 | 23.664 | 0.104 | 2.594 | 20.966 |
| 31 | लखनऊ | लखीमपुर | जे0बी0गंज | 8 | एन0एच0 24 मार्ग से सेण्डानार्थ मार्ग प्र0 भाग | 1.040 | 66.289 | 53.031 | 26.516 | 0.116 | 2.907 | 23.493 |
| 32 | लखनऊ | लखीमपुर | खम्भारखेडा | 9 | लखपेडागंज अस्पताल से बंजरिया पक्के मार्ग तक | 1.370 | 85.350 | 68.280 | 34.140 | 0.149 | 3.742 | 30.249 |
| 33 | लखनऊ | लखीमपुर | कमेटी अर्नीखना | 10 | झलरिया से मदारापुर तक | 1.000 | 61.477 | 49.181 | 24.591 | 0.108 | 2.696 | 21.787 |
| | | | | **10** | **योग जनपद** | **9.804** | **614.175** | **491.335** | **245.668** | **1.077** | **26.928** | **217.663** |
| 34 | लखनऊ | सीतापुर | हरगांव | 1 | हरगांव लहरपुर रोड से रामपुर बरौरा मार्ग रपटा सहित | 0.780 | 92.299 | 73.839 | 36.920 | 0.162 | 4.047 | 32.711 |
| 35 | लखनऊ | सीतापुर | हरगांव | 2 | अन्दौली मार्ग से उदयपुर | 1.200 | 98.047 | 78.437 | 39.218 | 0.172 | 4.299 | 34.747 |
| 36 | लखनऊ | सीतापुर | हरगांव | 3 | हरगांव कुशियारी पक्के मार्ग से शंकरपुर तक | 0.900 | 74.622 | 59.697 | 29.849 | 0.131 | 3.272 | 26.446 |
| 37 | लखनऊ | सीतापुर | महोली | 4 | चमखर मन्दिर से सरस्वती शिशु मन्दिरतक | 0.200 | 16.371 | 13.096 | 6.548 | 0.029 | 0.717 | 5.802 |
| 38 | लखनऊ | सीतापुर | जवाहरपुर | 5 | सरैया मैनासी पक्के मार्ग से नेवादा मार्ग | 1.100 | 90.772 | 72.617 | 36.308 | 0.159 | 3.980 | 32.169 |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | लखनऊ | सीतापुर | बिसवाँ | 6 | बन्नी घुरैनी के पूरब डामर रोड से इमली गांव | 1.300 | 94.401 | 75.520 | 37.760 | 0.165 | 4.139 | 33.456 |
| | | | | **6** | **योग जनपद** | **5.480** | **466.512** | **373.206** | **186.603** | **0.818** | **20.454** | **165.331** |
| 40 | लखनऊ | हरदोई | लोनी | 1 | नगला भगवान रोड से शर्मा हाल्ट मार्ग भाग 2 | 0.900 | 64.100 | 51.280 | 25.640 | 0.113 | 2.811 | 22.716 |
| | | | | **1** | **योग जनपद** | **0.900** | **64.100** | **51.280** | **25.640** | **0.113** | **2.811** | **22.716** |
| 41 | देवीपाटन | गोण्डा | मनकापुर | 1 | गोपालपुर छुटका पुरवा से कुली बनकट | 0.800 | 51.060 | 40.848 | 20.424 | 0.090 | 2.238 | 18.096 |
| 42 | देवीपाटन | गोण्डा | मनकापुर | 2 | पिकौरा बेलवा पेन्टेड रोड से छुटकी खजुरी होते हुये हनुमान गंज बाजार तक | 0.650 | 48.430 | 38.744 | 19.372 | 0.085 | 2.124 | 17.163 |
| | | | | **2** | **योग जनपद** | **1.450** | **99.490** | **79.592** | **39.796** | **0.175** | **4.362** | **35.259** |
| 43 | देवीपाटन | बलरामपुर | बलरामपुर | 1 | जुआथान भैसहवा मार्ग से मनिकाकोट तक | 0.565 | 32.760 | 26.208 | 13.104 | 0.058 | 1.437 | 11.609 |
| 44 | देवीपाटन | बलरामपुर | बलरामपुर | 2 | जुआथान भैसहवा मार्ग से (स्पेक्टर झाला) धर्मपुर लक्ष्मी नरायन पुर डीह वीरपुर पेन्टेड | 0.650 | 40.890 | 32.712 | 16.356 | 0.072 | 1.792 | 14.492 |
| 45 | देवीपाटन | बलरामपुर | तुलसीपुर | 3 | तुलसीपुर जरवामार्ग से लौकी खुर्द ग्राम तक | 1.150 | 69.030 | 55.224 | 27.612 | 0.121 | 3.027 | 24.464 |
| | | | | **3** | **योग जनपद** | **2.365** | **142.680** | **114.144** | **57.072** | **0.251** | **6.256** | **50.565** |
| 46 | देवीपाटन | बहराइच | नानपारा | 1 | नानपारा बहराइच मार्ग से दुर्गापुरवा ग्राम तक | 0.750 | 58.770 | 47.016 | 23.508 | 0.103 | 2.577 | 20.828 |
| | | | | **1** | **योग जनपद** | **0.750** | **58.770** | **47.016** | **23.508** | **0.103** | **2.577** | **20.828** |
| 47 | गोरखपुर | बस्ती | वाल्टरगंज | 1 | बस्ती डुमरियागंज मार्ग से मिश्रौलिया सम्पर्क मार्ग लेपन कार्य | 0.450 | 29.030 | 23.224 | 11.612 | 0.051 | 1.273 | 10.288 |
| 48 | गोरखपुर | बस्ती | विक्रमजोत | 2 | परसा परशुरामपुर मार्ग से ग्राम यरता से करगहना तक लेपन | 0.800 | 68.757 | 55.005 | 27.503 | 0.121 | 3.015 | 24.367 |
| 49 | गोरखपुर | बस्ती | विक्रमजोत | 3 | विशेषरगंज महुघाट मार्ग से ग्राम नरायनपुर तक लेपन | 0.500 | 29.090 | 23.272 | 11.636 | 0.051 | 1.275 | 10.310 |
| | | | | **3** | **योग जनपद** | **1.750** | **126.877** | **101.501** | **50.751** | **0.223** | **5.563** | **44.965** |
| | | | | **49** | **प्रदेश योग-** | **39.699** | **2500.000** | **1999.984** | **999.992** | **4.384** | **109.608** | **886.000** |

(रूपये नौ करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार दो सौ मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।